पत्रांक–22/अनु0–02/2015 सा0प्र0........./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

पटना–15, दिनांक..............जून, 2015

विषयः– **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में समाहरणालय, खगड़िया के पत्रांक–VI–05/2015/213/स्था0, दिनांक–16.04.2015 के प्रसंग में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र सं0–5958 दिनांक–25.04.2012 की कंडिका–'ख' में अनुकम्पा समितियों द्वारा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व लिखित जाँच परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कृपया अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए इस हेतु सम्प्रति लागू परिपत्रों के प्रावधानों के आलोक में ही कार्रवाई किया जाय। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्गत सभी परिपत्रों का अवलोकन सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–22/अनु0–02/2015 सा0प्र0....8082..../पटना–15, दिनांक..5....जून, 2015

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।